



कार्यालय अधिष्ठाता
पं.जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

Phone No.+91-0771-2525602,2890001(Fax) 0771-2523919 E-mail.ptjnm mcr@rediffmail.com www.ptjnmraipur.in

आदेश

मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर की गई अनुशंसाओं तथा मार्गदर्शी निर्देशों के परिपालन में पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में तत्काल प्रभाव से रैगिंग की रोकथाम तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नानुसार एंटी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है ।

एंटी रैगिंग समिति :

अधिष्ठाता	:	अध्यक्ष
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक	:	सदस्य
विभागाध्यक्ष, फारेंसिक मेडिसीन	:	सदस्य
विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी विभाग	:	सदस्य
विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग	:	सदस्य
विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग	:	सदस्य
विभागाध्यक्ष, निश्चेतना विभाग	:	सदस्य
चीफ वार्डन	:	सदस्य सचिव
स्नातकोत्तर छात्रावास अधीक्षक	:	सदस्य
छात्रा छात्रावास अधीक्षक	:	सदस्य
सहायक छात्रावास अधीक्षक	:	सदस्य
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर	:	सदस्य
एस.डी.एम. सिटी रायपुर	:	सदस्य
प्रेस क्लब रायपुर प्रतिनिधि	:	सदस्य

जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन

अध्यक्ष

सचिव

स्नातक छात्रसंघ

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सचिव

संयुक्त सचिव

वरिष्ठ छात्र छात्रावास (खण्ड अनुसार)

प्रीफेक्ट व

सहायक प्रीफेक्ट खण्ड अ (01 से 13), खण्ड ब (14 से 26)

खण्ड स (27 से 39), खण्ड द (40 से 52)

छात्रा छात्रावास

प्रीफेक्ट व सहायक प्रीफेक्ट

छात्रा छात्रावास (खण्ड अनुसार) विंग इंचार्ज

प्रथम खण्ड व ग्राउंड फ्लोर

पुराना छात्रा छात्रावास (खण्ड अनुसार)

प्रिफेक्ट व सहायक प्रिफेक्ट

विंग इंचार्ज ग्राउंड फ्लोर व फर्स्ट फ्लोर

एंटी रैगिंग समिति के कार्य :

कक्षा तथा छात्रावास प्रतिनिधि समय समय पर वरिष्ठ, कनिष्ठ छात्र छात्राओं को समझाईश देंगे वांछित मार्गदर्शन करेंगे तथा सामंजस्य स्थापित करेंगे । अनुशासन बनाए रखने में सहायता करेंगे ।

रैगिंग के रोकथाम हेतु प्रयासों से सहयोग देंगे, रैगिंग होने की संभावना अथवा रैगिंग होने की सूचना तत्काल प्रदान करेंगे ।

सभी विभागाध्यक्ष स्वयं तथा अपने अधिनस्थ अध्यापकों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छात्र छात्राएं अपने पठन पाठन प्रशिक्षण में व्यस्त रहकर पाठ्योत्तर, शैक्षणिक तथा खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेंगे । समिति छात्र छात्राओं को अपेक्षित मार्गदर्शन देंगे, ताकि वे भ्रमित न हो । समिति ऐसे छात्र छात्राओं की सूची रखेगी जो पूर्व में रैगिक, अनुशासनहीनता तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे या जिनके द्वारा ऐसा करने की संभावना हो सकती है, उन पर विशेष निगरानी रखेगी । समिति अनुशासनहीनता तथा रैगिंग के प्रकरण अनुशासन समिति के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी । समिति कार्ययोजनानुसार कार्य करेगी तथा कार्ययोजना को लागू करेगी ।

कार्ययोजना:

1. महाविद्यालय। छात्रावासों में रैगिंग से संबंधी शिकायत हेतु पत्र पेट्टी की व्यवस्था की गई है।
2. रैगिंग की शिकायत हेतु दूरभाष नं. निम्नानुसार है:
कार्यालयीन समय में :
अधिष्ठाता 2525602, 2523919ए 2890001
अकार्यालयीन समय में:
अधिष्ठाता मो. 98271-59891
3. कार्यालय समय में : कार्यालय निवास
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक : 0771-2890100, 0771-2883030
मोबाईल - 98260-64727
4. डॉ एस फुलझेले (चीफ वार्डन) 9993783658
डॉ(श्रीमती) शारजा फुलझेले (वार्डन कन्या छात्रावास) 9893294257
स्नातक छात्रा छात्रावास 2524254
अधीक्षक निवास
स्नात्कोत्तर/स्नातक छात्रा छात्रावास 2526171
अधीक्षक निवास 2525875
छात्र छात्रावास सहायक अधीक्षक निवास 2521600
5. हेल्पलाईन **1800-180-5522**
6. महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों हेतु गणवेश की अनिवार्यता नहीं है। वे सामान्य गणवेश में आएंगे, कोई उन्हें विशेष गणवेश में आने हेतु बाध्य नहीं करेगा। ऐसा करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों का वरिष्ठ छात्रों से परिचय सम्मेलन का आयोजन प्रवेश के एक माह के भीतर किया जावेगा। जिसमें महाविद्यालय के समस्त विषयों के शिक्षक व छात्र संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
8. महाविद्यालय प्रशासन, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करवाएगा, जिससे नवीन प्रवेश करने वाले छात्रों को रैगिंग का डर न रहे एवं वे निश्चित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें।
9. महाविद्यालय के छात्रावासों में निवासरत अधिकृत छात्रों/छात्राओं/कर्मचारियों के अलावा समस्त बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है।
10. रैगिंग रोकथाम की दृष्टि से यदि छात्रावासों की आंतरिक व्यवस्था की कोई फेरबदल करना आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही की जावेगी।

11. छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे मुख्यालय छोड़ने के पहले अपना प्रभार दूसरे अधीक्षक को सौंपकर सूचना अधिष्ठाता को देंगे ।
12. महाविद्यालय तथा परिसर में रैगिंग के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उनका समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा एवं सतत् निगाह रखी जावेगी ।
13. शहर में ऐसे स्थान जहां प्रथम वर्ष के दूसरे शहरों से आए छात्र निवास कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर सूची बनाई जाएगी, एवं उन स्थानों की निगरानी हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन को सूचित किया जावेगा ।
14. महाविद्यालय के सभी छात्रों को रैगिंग में परोक्ष अपरोक्ष रूप से संलिप्त नहीं होना है, हेतु निर्देशित किया जावेगा ।
15. महाविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किये जावेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभागीय परिसर, प्रयोगशालाओं, व्याख्यान कक्ष आदि में महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रैगिंग न ली जावे, तथा वे ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होंगे ।
16. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से पूर्व के समान वचनपत्र भराया गया है कि वे अनुशासन का पालन करेंगे, तथा प्रतिज्ञा करेंगे कि रैगिंग नहीं लेंगे और न ही इसमें परोक्ष व अपरोक्ष रूप से भाग लेंगे ।
17. महाविद्यालय छात्रावास परिसर के बिजली की व्यवस्था सुचारु रूप से तथा निर्विवाध रूप से जारी रखने तथा सुधार कार्य के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के अधीक्षण यंत्री से पत्र व्यवहार किया जाकर सुनिश्चित किया जावेगा कि परिसर में अंधकार न रहे ।
18. महाविद्यालय/छात्रावास के आसपास के क्षेत्रों से चाय पान इत्यादि दूकानों को हटाने के लिए शहर के अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी को पत्र लिखा जावेगा तथा इस कार्य में महापौर/प्रशासक नगर निगम को सहयोग हेतु लिखा जावेगा ।
19. छात्र/छात्रा छात्रावास के आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज्यादा है, जिससे कि नवीन प्रवेशित छात्रों को प्रतिवर्ष खतरा बना रहता है । इन तत्वों पर उचित नियंत्रण करने हेतु पुलिस अधीक्षक से सहयोग लिया जावेगा ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।
20. सम्पूर्ण सत्र के दौरान अधिष्ठाता समय समय पर व्यवस्था का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे ।
21. प्रतिमाह रैगिंग संबंधी घटनाओं की जानकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जावेगी ।

22. प्रथम वर्ष की कक्षाओं में वरिष्ठ छात्र छात्राओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। (बैच का विलियन कर पठन पाठन प्रशिक्षण के अतिरिक्त)
23. चिकित्सालय में कार्यरत पुलिस चौकी के सुदृढीकरण तथा उनके द्वारा भी कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा रैगिंग के रोकथाम के लिए सतत् जागरूक रहने तथा कार्यवाही करने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन से चर्चाकर आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने हेतु निवेदन किया जावेगा ।

अधिष्ठाता